


FORM NO. III

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान तारीफ बनाम सरकार जरिये एसएचओ गोविन्दगढ़, अलवर
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा0पत्र नम्बर 15/03/2026 दायर दिनांक 13.01.2026

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.05.2026	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या HR-47-F-8511 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 173 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या HR-47-F-8511 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी कदर/अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या HR-47-F-8511 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दपतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	